न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :राहुल श्रीवास्तव आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 03 सन 2009

अनवान :–

1. तेजपाल पुत्र लालूराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
2. किरण पत्नी स्वगीय रामसुख जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुराम तहसील नोहर

सायलान

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र अनुराम जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. रामीदेवी पत्नी स्वर्गीय पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. जयसिह उर्फ शभु पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
4. विमला पुत्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. माडी पुत्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. गुडडीदेवी पुत्री पूर्णराम जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

असल गैरसायल

9. प्रेमसुख पुत्र लालुराम जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
10. मुस्मात किस्तुरी पत्नी स्वर्गीय लालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. सावित्री पुत्री लालू पत्नी हंसराज जाति ब्रहाम्ण निवासी हाल मेडतासिटी तहसील मेडतासिटी जिला नागौर
12. विमला पुत्री लालू पत्नी प्रभू जाति ब्राहम्ण निवासी जैतपुरा तहसील सुरतगढ।
13. महेश कुमार पुत्र स्वगीय रामसुख जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
14. अनिलकुमार पुत्र स्वगीय रामसुख जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
15. कैलाशचन्द पुत्र स्वगीय रामसुख जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

तरतीबी अप्राथीगण

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी बाबत पूर्व स्थिति बहाल करने

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता प्रार्थी / सायल
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/12/25

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आश्य का पेश किया की लालू वल्द देवाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा करबी 28 वर्ष पहले फोत हो चुका हे जिसके वारिसान सायलान व गेरसायलान न0 9 तस 15 है तथा पूर्णाराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार साकिन मन्दरपुरा दिनांक 14.05.2008 को फोत हो चुका है।

सायल नम्बर 1 तरतीबी गैरसालय नम्बर 9 ता 11 व 12 के पिता व तरतीबी गैरसायल नम्बर 13 ता 15 के क्रमंश ससुर व दादा स्वर्गीय लालू पुत्र देवाराम के नमा रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 173 की 36 बीध खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी साबिका खसरा न0 173/36 की पैमाईश हाल में खसरा न0 36/6.18 व 70/4.06 ,67/3.12 ,76/12.01 ,68/10.04 कुल [illegible] 36.00 बीधा परिर्वतन हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:56:44 IST
Reason: SelfAttested

सायल संख्या 1 व सायल संख्या [illegible] व ससुर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि मृतक लालू पुत्र [illegible] के कब्जा काश्त में [illegible]था लालू 1981 में फोत हो चुका हे जिसके वारिसान सायल[illegible] व तरतीबी गैरसायल[illegible] 15 है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बन्दोबस्त विभाग ने खसर न0 76/12.01 व 68/10.04 बीधा भूमि गलत तौर से अराजीराज दर्ज कर दी इस पर सायल संख्या 1 के पिता व सायल संख्या 2 के ससुर ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में वाद संख्या 523/77 पेश किया जो दिनांक 07.06.1978 को वाद डिक्री कर दिया गया दावा के विचरण के दौरान ही खसरा न0 76/12.01 बीधा जो गेरसायल संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी नोहर से गलत तथ्यो के आधार पर विधि विरूद्व आवंटन करवा लिया और बाद में गैरसायल संख्या 2 ता 8 के पिता पूर्णाराम द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन धारा 14(4) के तहत पेश किया जिसे रिमाण्ड कर दिया गया रिमाण्ड होने के पश्चात हुक्मा चाचा भतीजा ने दुरभिसिन्धी कर दिनांक 24.01.1983 को राजीनामा पेश कर वाद भूमि आधी आधी अपने नाम दर्ज करवा ली उक्त आदेश दिनांक 24.01.1983 के खिलाफ सायल नम्बर 2 के पति व तरतीबी गैरसायल 13 ता 15 के पिता रामसुख ने अपील पेश की गई जो दिनांक 08.05.1985 को स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 24.01.1983 अपास्त कर दिया गया

सायलान व तरतीबी गैरसायल नम्बर 9 ता 15 के पूर्वज लालूराम ने राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी नोरि में प्रस्तुत किया जो दिनांक 7.06.1978 को डिक्री किया जाकर लालूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया उक्त डिक्री का आज तक निरस्त नही करवाया गया है

गेरसायल न0 1 ने निर्णय दिनांक 07.06.1978 को चुनौति ना देकर सहायक कलेक्टर नोहर मु0 भादरा में एक वाद पेश किया गया जिसे न्यायालय ने दिनांक 15.09.1986 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपनी प्रस्तुत की गई जो एक तरफा तौर पर दिनांक 22.06.2000 को हुक्माराम के वाद को डिक्री कर दिया गया जिसके विरूद्व सायलान ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की गई जिसमें दिनांक 27.01.2005 को अपील स्वीकार कर प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को रिमाण्ड कर दिया गया माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने निर्णय पारित किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.1986 को बहाल रखा गया।

गेरसायल संख्या 1 व मृतक पूर्णराम ने दिनांक 24.01.1983 को बिला लालूराम व उसके वारिसान को सुनवाई का मौका दिये बिला किसी पत्रवावली मुर्तिब किये राजीनाम के द्वारा खसरा न0 76 की 12.01 बीधा भूमि गलत तौर से अपने नाम दर्ज करवा ली गई गैरसायल न0 1 व मृतक पूर्णराम ने अपना खाता अलग से कायम करवा लिया हे उक्त भूमि जिस निर्णय दिनांक 24.01.1983 के आधार पर गेरसायल 1 व मृतक पूर्णराम के नाम दर्ज की वो निर्णय दिनांक 24.01.1983 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के द्वारा खारिज किया जा चुका है।

गैरसायल वादी हुक्माराम का दावा भी दिनांक 15.09.1986 को खारिज हो चुका है तथा गेरसायल के आवंटन आदेश 12.11.1975 को खारिज कर दिया है तथा खसरा न0 76/12.01 बीधा लालू पुत्र देवाराम की पुरानी खातेदारी भूमि का भाग माना गया है राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के दिनांक 27.01.2005 को प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को रिमाण्ड किया गया जिनके द्वारा दिनांक 28.08.2008 को निर्णय पारित किया जाकर गैरसायल वादी को पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.1978 को अपरास्त करवाने का अधिकारी नही माना है अर्थात निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.1978 आज भी प्रभावी है जिसके आधार पर पुनः राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 व मृतक पूर्णराम के नाम अपास्त शुद्वा निर्णय दिनांक 24.01.1983 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल 1 व मृतक पूर्णराम के नाम दर्ज होने से सायलान व गेरसायल संख्या 9 ता 15 के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.1978 के आधार पर खसरा न0 76 की 12.01 बीधा भूमि मृतक लालू की खातेदारी भूमि होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:56:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कारण सायलान उक्त भूमि से गैरसालय संख्या 1 व मृतक पूर्णराम उसके वारिसान का कोई हक हिस्सा नही है जिसका नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 76 की 12.01 बीधा भूमि जो खाता विभाजन उपरान्त खसरा न0. 76/1 की 6.01 बीधा , खसरा न0 76/2 की 6.00 बीधा भूमि गैरसायल संख्या 1 हुक्माराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर निर्णय दिनांक 07.06.1978 की पालना में मृतक लालूराम पुत्र देवाराम को खातेदार माना है अब उसके वारिसान सयलान व तरतीबी गैरसायल संख्या 9 ता 15 को बतौर खातेदार काश्तकार है जिसमें सायल न0 1 व तरतीबी गेरसायल न0 9 ता 12 पाचो बहिस्सा बराबर 1/6 हिस्सा , तथा सायला नम्बर 2 व तरतीबी गैरसायल संख्या 13 ता 15 चारो 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 9 ता 15 तरतीबी प्रतिवादी अंकित किये गये जिनका अनुतोष सायल में निहित है इसलिये इनको तलब नही किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये किन्तु प्रार्थना पत्र का कोई जबाब पेश नही करने पर बन्द किया जाकर प्रार्थी की की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वाद भूमि उसके पूर्वजो के हक हिस्सा की भूमि थी जिसके खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे किन्तु गेरसायल ने कपट पूर्वक अपने नाम भूमि दर्ज करवा ली थी वह आदेश भी निरस्त हो चुका है इसलिये वाद भूमि सायलान के नाम दर्ज की जावे।

प्रार्थी ने वाद भूमि निर्णय दिनांक 07.06.198 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन का अनुतोष चाहा गया है जो विधि सम्मत नही है न्यायालय में प्रस्तुत किसी भी प्रार्थना पत्र की मियाद को देखा जाना सर्वप्रथम विधिसम्मत है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र समय पर पेश किया गया है या नही यदि देरीना से प्रस्तुत किया गया है तो उसका कोई सन्तोषप्रद कारण भी अंकित किया गया है या नही

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण बताना आवश्यक था परन्तु ना ही प्रार्थी द्वारा किये गये कथन साबित होते है ना ही सन्तोषप्रद है

प्रार्थी ने जिस भूमि का अनुतोष चाहा गया है वह भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खात में दर्ज है वाद भूमि की जमाबन्दी के अवलोकन से पाया जाता है वाद भूमि में विभिन्न प्रकार के बेयनामा /न्यायालय आदेश हो चुके है जिन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाना भी विधि सम्मत है

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित गैरसायलान का वर्तमान जमाबन्दी में नाम ही पूर्णरूप से अंकित नही है जब गैरसालयान के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि ही नही है तो प्रार्थी अनुतोष किससे प्राप्त करना चाहता है।

प्रार्थी का दायित्व था कि वह जिस भूमि का अनुतोष चाहता है वह वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसके नाम से दर्ज है को पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारो के अभाव में ही खारिज योग्य है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप नही है प्रार्थी के अनुतोष अनुसार प्रार्थी प्रार्थना पत्र की [illegible] घोषणा करवाना चाहता है वह भी अपूर्ण तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप नही होने के आधार पर ही खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी [illegible] यह प्रार्थना पत्र अन्याधिक देरीना से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है देरीना का कोई प्रर्याप्त कारण भी व्यक्त नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:56:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया गया है ना ही देरीना को साबित करने का कोई ठोस आधार /साक्ष्य पेश किया गया है

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 144 के प्रावधानो के अनुरूप नही है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में घोषणा चाही गई है जो विधि सम्मत नही है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित गैरसायल वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार के टिनेन्ट नही पाये गये वर्तमान जमाबन्दी में वाद भूमि में बहुत बेयनामा/न्यायालय आदेश पारित किये गये है जिसका विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपूर्ण तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है।

प्रार्थी के द्वारा देरीना से प्रार्थना पत्र पेश करने के सम्बध में मियाद प्रार्थना पत्र ही पेश नही किया गया है मात्र अपने प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी में देरीना का कारण व्यक्त किया गया है किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया है जो विधि सम्मत नही है मियाद प्रार्थना पत्र के अभाव में ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी अत्यंत देरी से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण नहीं दर्शाने के कारण प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहर होने एंव प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में वर्तमान जमाबन्दी अनुसार काफी बेयनामा /न्यायालय आदेश पारित किये जा चुके है जिन्हे भी प्रार्थी के द्वारा पक्षकार नही है बनाया गया है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप ना होकर घोषणा की श्रेणी में पाया जाने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र. उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

Rahul

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:56:44 IST
Reason: SelfAttested